न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास–श्री अरूण कुमार पुरोहित, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या –63/2024
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर –2024/71

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
नाथुराम पुत्र मानाराम जाति–जाट,निवासी–रूपाथल तहसील–जायल,जिला–नागौर		नायब तहसीलदार, जायल, राज0

उपस्थिति:–

1. अपीलान्ट की ओर से वकील श्री धर्माराम खुड़खुड़ीया।
2. रेस्पोडेन्ट की ओर से राजपैरोकार श्री ओमप्रकाश पूनियां ।

:: निर्णय :: दिनांक :– 18.12.2024

अपीलान्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 75 के तहत नायब तहसीलदार,जायल द्वारा प्रकरण संख्या 01/2024 पटवारी हल्का रूपाथल बनाम नथुराम में पारित निर्णय दिनांक 20.02.2024 से असंतुष्ट होकर दिनांक 13.03.2024 को प्रस्तुत की हैं। अपीलान्ट की अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील पर वकुलाय की बहस सुनी गई। विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपील मीमो में दर्ज कथनों को पुनः दोहराते हुवे मुख्य रूप से यह कथन किया कि सरहद रूपाथल में हाल खसरा नम्बर 602 तथा खसरा नम्बर 601,916/604 इत्यादि खसरान अपीलांट के दादा,परदादा के कब्जे काश्त में जागीर समय से तत्कालीन जागीरदार को शुकराना के रूपये देकर पूर्वजों ने प्राप्त किये थे तथा खसरा नम्बर 602 के पुराने खसरा नम्बर के चिपते खसरान सहित अपीलांट के पूर्वजों के कब्जा व काश्त करसण में रहते आये थे व खसरा नं. 602 के पुराने खसरा का हासल तत्कालीन जागीरदार प्राप्त करते थे व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने पर इसके नये खसरा नम्बरान कायम किये गये व मौजूदा खसरान नम्बर 602 को गत बन्दोबस्त अधिकारियों ने गलती से अपीलांट के पूर्वजो की खातेदारी में दर्ज नहीं कर पूर्वजों की खुद की अपने बेलो व मवेशीयो के लिए बरसाती पानी इकट्ठा करने के लिए खोदी गई बेकड़ी(ग्रामीण पानी इकट्ठा करने के स्थान का बोलता नाम बेकड़ी) बना रखी थी तथा उसमें पानी इकट्ठा करते व पानी खत्मक होने पर उसमें काश्त कर लेते थे मगर गत बन्दोबस्त अधिकारियों ने त्रुटिपूर्वक इसे नाडी अथवा नाडा गलत दर्ज कर दिया,इस कारण गत बन्दोबस्त अधकारियों ने इनके अड़ौस पड़ौस के खेतों को खातेदारी में दर्ज कर दिया मगर इसे खातेदारी में दर्ज नही कियाएवं उक्त खसरा नम्बर 602 गैर मुमकिन नाडी गलत दर्ज कर दिया मगर मौके पर यह अपीलांट के पूर्वजों के कब्जे काश्त व कानूनन खातेदारी के खेत का ही भाग रहा हैं। करीब 25–30 साल पहले जब पटवारी ने उक्त खसरा नम्बर 602 बाबत् अतिक्रमी होने का नोटिस दिया तब स्व0 मानाराम के चार पुत्रों ने राजस्व अपील संख्या 35/98 पेश की थी जो अपील बाद सुनवाई स्वीकार की गयी व बेदखली के आदेश को निरस्त कर नियमानुसार निर्णय पारित करने हेतु दिनांक 29.06.1999 को

कलक्टर ना...

आदेश पारित किया,उसके पश्चात् कभी भी अपीलांट व अपीलांट के भाईयो के विरूद्व धारा 91 राज0 भू राजस्व अधिनियम का प्रकरण दर्ज नहीं हुआ व लगातार अपीलांट व अपीलांट के भाईयों के अलग–अलग बंट होकर कब्जा काश्त रहता चला आया हैं व इस कब्जे को लेकर हाल ही में नायब तहसीलदार,जायल ने नोटिस दिया व दिनांक 20.02.2024 को अपीलांट उपस्थित होकर उरोक्त बात जुबानी बतायी तो कार्यवाही खारिज करने का आदेश सुनाया तब अपीलांट ने अपने हस्ताक्षर कर दिये मगर प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर अपीलांट को जानकारी हुई कि अदालत मातहत ने आदेश बेदखल व जुर्माना का पारित कर दिया हैं। इस प्रकार आदेश जैर अपील अनुचित,विधि विरूद्व व गैर सायल/अपीलांट को तमाम साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर नहीं देकर व जुबानी रूप से कार्यवाही ड्रोप करने का आदेश सुना कर उसके पश्चात् अनुचित आदेश/निर्णय पारित किया हैं,जो अपास्त योग्य हैं एवं आदेश जैर अपील निरस्त किये जाने योग्य हैं।

विद्वान वकील अपीलांट का यह भी कथन हैं कि खसरा नम्बर 602 व इसके पुराने खसरा नम्बर कभी भी सार्वजनिक नाडी नही रहा क्योंकि न तो इस खसरा के चारो ओर कोई पानी इकट्ठा करने हेतु पाली बनी हुई हैं एवं न ही इस खसरा में कोई पानी इकट्ठा करने के लिए चौबी बनी हुई हैं न ही इस खसरा के पास पानी इकट्ठा करने का अंगोर हैं। उक्त बेकड़ी अपीलांट के पूर्वजों की निजी कब्जा व उपयोग की जागीरदार से पूछ कर खेती के प्रयोजन से तैयार की गयी थी जो कालान्तर में सरकारी ट्यूबवेल व पानी की योजना से जलापूर्ति होने से इसमें पानी इकट्ठा कभी नहीं रहा व इसमें पूर्वजों के सभी उतराधिकारियों के निर्माण व आवासीय बाड़े व खेती प्रयोजनार्थ कब्जा हैं तमाम तथ्यों को जांच किये बिना व राजीकीय रेकर्ड का अवलोकन किये बिना,अपीलांट को जबाब देही साक्ष्य सबूत का अवसर दिये बिना आदेश जैर अपील पारित कर दिया हैं,जो निरस्त किये जाने योग्य हैं।

विद्वान वकील अपीलांट का यह भी तर्क हैं कि अपीलांट व अन्य भाईयों द्वारा पूर्व में प्रस्तुत अपील व निर्णय की पालना में नायब तहसीलदार ने कोई जांच नहीं की व मौके पर अपीलांट की मौजूदगी में भूमाप किये बिना व लम्बाई चौड़ाई के फुट,गज,मीटर,गठा की जांच किये बिना अन्दाजे से आदेश जैर अपील पारित करने में विधिक त्रुटि की हैं।

विद्वान वकील अपीलांट का यह भी कथन हैं कि खसरा नम्बर 602 पर जिस प्रकार से कब्जा हैं उसका मानाराम के पुत्रों के बीच आपसी सहमति से जो कब्जा हैं उसमें अपीलांट परिवार के पुत्र पुत्रीयों का भी शामिल कब्जा हैं,जिनको नोटिस दिये बिना आदेश जैर अपील पारित करने में त्रृटि की हैं। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली,मौके के हालात,तथ्यों,परिस्थितियों के अनुसार व न्यायिक सिद्वांतों के अनुसार अपील अपीलांट स्वीकार योग्य हैं,इसलिए अपील अपीलांट स्वीकार की जावें तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावें तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ पुनः लौटाया जावें कि हमारे द्वारा अपील में दर्ज आधारों पर जांच कर जबाब देही साक्ष्य सबूत का अवसर देकर मौका देख कर अपीलांट की मौजूदगी में भूमाप कर तत्पश्चात मेरीट पर निर्णय पारित किया जावें।

राजपेरोकार श्री ओमप्रकाश पुनियां का दोराने बहस यह कथन था कि अपीलांट द्वारा ग्राम रूपाथल के खसरा नम्बर 602 किस्म भूमि गै0मु0 नाडी रकबा 0.09 है0 पर बाड़ा व मकान बनाकर अतिक्रमण किये जाने पर पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर सम्पूर्ण जॉच कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 20.02.2024 को निर्णय पारित किया गया हैं,जो सही निर्णय पारित किया

गया हैं। अपीलांट को प्रकरण में पूर्ण सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये हैं,नोटिस की विधिवत् तामिल हो जाने के बावजूद अतिक्रमित भूमि अपीलांट की स्वामित्व की भूमि होने का कोई दस्तावेज अपीलांट द्वारा पत्रावली में पेश नहीं किया गया हैं। इसलिए गै0मु0 नाडी की भूमि पर किये गये अतिक्रमण के सम्बन्ध में दिया गया यह निर्णय विधिवत् हैं। इसलिए अपील अपीलांट मय खर्चा खारिज फरमायी जावें।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत पटवारी हल्का रूपाथल की रिपोर्ट दिनांक 07.02.2024 के अनुसार श्री नथूराम पुत्र मानाराम, जाति–जाट,निवासी–रूपाथल द्वारा ग्राम रूपाथल के खसरा नम्बर 602 रकबा 0.09 है0 किस्म जमीन गै0मु0 नाडी पर अनाधिकृत कब्जा बाड़ा करना दर्शाया गया हैं। मू0अभिलेख निरीक्षक,रोल द्वारा जांच कर दिनांक 07.02.2024 को अपने हस्ताक्षर किये हैं। इस प्रकार पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत टी0पी0 रिपोर्ट अनुसार अपीलांट द्वारा गै0मु0 नाडी की भूमि पर बाड़ा बनाकर कब्जा किया हैं। गै0मु0 नाडी की भूमि प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी की भूमि में आती हैं तथा यह भूमि सार्वजनिक उपयोग की भूमि भी हैं,इसलिए इस प्रकार की भूमि पर किये गये अनाधिकृत कब्जा को नायब तहसीलदार,जायल द्वारा हटाये जाने का आदेश दिया गया हैं,जो विधिवत् हैं। अपीलांट द्वारा उक्त भूमि उनकी स्वामित्व व अधिकार स्वरूप की भूमि होने का कोई दस्तावेज पत्रावली में पेश नहीं किया हैं। विद्वान वकील अपीलांट का दोराने बहस यह कथन था कि पूर्व में इस जमीन के सम्बन्ध में अपीलांट के दीगर भाईयों के इसी प्रकरण की भूमि का निर्णय न्यायालय द्वारा किया गया जिसमें प्रकरण को रिमाण्ड किया गया उसके बाद कोई कार्यवाही नहीं की गई हैं। इस सम्बन्ध में पत्रावली में अपीलांट द्वारा निर्णय दिनांक 29.06.199 न्यायालय अपर कलक्टर,नागौर के निर्णय प्रकरण संख्या 39/98 की पेश की गई फोटो प्रति का अवलोकन किया गया। जिसमें प्रकरण रिमाण्ड किये जाने के अन्य कारण विद्यमान रहे हैं। इसलिए उस निर्णय से इस प्रकरण में अपीलांट को कोई सहायता नहीं मिलती हैं। वर्तमान प्रकरण में अपीलांट द्वारा गै0मु0 नाडी की भूमि पर अनाधिकृत कब्जा किया गया हैं,जिसके विरूद्व नायब तहसीलदार,जायल द्वारा विधिवत् प्रकरण दर्ज कर निर्णय दिनांक 20.02.2024 पारित किया हैं,जो विधिवत पारित किया गया निर्णय होने से उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता नहीं हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती हैं तथा नायब तहसीलदार,जायल द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.02.2024 को यथावत रखा जाता हैं। निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकार्ड पुनः लौटाया जावें।

आदेश आज दिनांक 18.12.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरूण कुमार पुरोहित)
जिला कलक्टर,
नागौर